बनाम

नं. सन् 2018

| | | |
|---|---|---|
| | T.I.M. = 133<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3/5/18 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| 18 | प्रार्थी के अधिवक्ता श्री के.एम. गौड़ ने प्रार्थना पत्र अग्रिम निपटारा प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 4-5-18 को पेश हो। | |
| | राजस्व लोक अदालत दौसा<br>न्याय आपके द्वार 2018<br>सहायक कलक्टर<br>दौसा | |
| 18-5-18 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में जनसेवा के पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 कैम्प में उपस्थित होने पर उनको सुना गया। प्रार्थी ने ग्राम जनसेवा स्थित ख.नं. 687 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे में दावमदांजी नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को प्रतिबन्धित करने हेतु निवेदन किया है, परन्तु ख.नं. 687 उनके द्वारा प्रस्तुत नकशा बन्दी में अंकित नहीं है। ख.नं. 687 बुआई खाते में अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थी | |
| | सहायक कलेक्टर<br>दौसा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। अतः पार्टी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने से खारिज की जाती है। प्रकरण जैसाकि दुरुस्त होने नम्बर के बाद है प्रकरण तकमील प्रारंभिक लेख मय प्रतिवादी मूल वाद के निराकरण हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत के प्रतिवादी के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया। | |

सहायक कलेक्टर
दौसा